

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:— 116 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जुलाई, 12, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
 नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय— जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा—तोलब—मयकोटी व मालकोटी—डांगी—गुनांउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण।

Proposal No. - FP/UK/ROAD/11810/2015

सन्दर्भ— प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 70/12-1(2) दिनांक 07.07.2017

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:—

Question	Answer
प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित की जाय एवं मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को संलग्न किये जाये।	प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित कर दी गयी है। <i>Uploaded at Part-1 additional documents Annexure 1</i>
प्रभागीय वनाधिकारी की एस.आई.आर. प्रस्ताव में संलग्न की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी की एस.आई.आर. प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है। <i>Uploaded at Part-1 additional documents Annexure 2</i>
परियोजना का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी0ओ0 रिफरेन्स मैप संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी.ओ. रिफरेन्स मैप संलग्न है। <i>Uploaded at Part-1 section L (v) (vi)</i>
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख अभियन्ता वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न की जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। <i>Uploaded at Part-1 additional documents Annexure 3</i>
परियोजना में भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न की जाय।	भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है। <i>Uploaded at additional documents Annexure 4</i>
ग्राम पंचायत कुमोली—मालकोटी प्रमाण पत्र पर दिनांक 20.02.2015 का उल्लेख है, जबकि उपस्थिति प्रपत्र में दिनांक 03.03.2015 का उल्लेख है। अतः सही सूचना संलग्न की जाय।	ग्राम पंचायत की उपस्थिति प्रमाण पत्र सही कर दिया गया है। <i>Uploaded at section K (i) (a)</i>
प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।	संलग्न प्रपत्रों की पठनीय प्रति संलग्न कर दी गयी है।
हल्का वाहन मार्ग वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित होने के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें।	अभिलेख संलग्न है। <i>Uploaded at additional documents Annexure 5</i>
प्रस्ताव में 151 वृक्षों की सूची संलग्न है, परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्षो प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र में 24 वृक्षों का उल्लेख है। अतः सही सूचना संलग्न की जाय।	प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में वृक्षों की संख्या (151 वृक्ष) का विरोधाभास सही कर दिया गया है। <i>Uploaded at Part-2 additional information detail Sl. No.-1</i>

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0के0रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की गढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 70 / 12-1(2) दिनांक 7-7/2017::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी-गुनाउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण।

Proposal No. - FP/UK/ROAD/11810/2015

सन्दर्भ :- नोडल अधिकारी का पत्रांक-3607/ FP/UK/ROAD/11810/2015 दिनांक 22.05.2017
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों का त्रिन्दुवार निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक-1687/13सी0 दिनांक 20.06.2017 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित की जाय एवं मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को संलग्न किये जायें।	प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित कर दी गयी है। <i>Uploaded at Part-1 additional documents Annexure 1</i>
2	प्रभागीय वनाधिकारी की एस.आई.आर. प्रस्ताव में संलग्न की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी की एस.आई.आर. प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है। <i>Uploaded at Part-1 additional documents Annexure 2</i>
3	परियोजना का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी0ओ0 रिफरेंस मैप संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी.ओ. रिफरेंस मैप संलग्न है। <i>Uploaded at Part-1 section L (v) (vi)</i>
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख अभियन्ता वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न की जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। <i>Uploaded at Part-1 additional documents Annexure 3</i>
5	परियोजना में भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न की जाय।	भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है। <i>Uploaded at additional documents Annexure 4</i>
6	ग्राम पंचायत कुमोली-मालकोटी प्रमाण पत्र पर दिनांक 20.02.2015 का उल्लेख है, जबकि उपस्थिति प्रपत्र में दिनांक 03.03.2015 का उल्लेख है। अतः सही सूचना संलग्न की जाय।	ग्राम पंचायत की उपस्थिति प्रमाण पत्र सही कर दिया गया है। <i>Uploaded at section K (i) (a)</i>
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।	संलग्न प्रपत्रों की पठनीय प्रति संलग्न कर दी गयी है।
8	हल्का वाहन मार्ग वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित होने के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें।	अभिलेख संलग्न है। <i>Uploaded at additional documents Annexure 5</i>
9	प्रस्ताव में 151 वृक्षों की सूची संलग्न है, परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्षों प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र में 24 वृक्षों का उल्लेख है। अतः सही सूचना संलग्न की जाय।	प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में वृक्षों की संख्या (151 वृक्ष) का विरोधाभास सही कर दिया गया है। <i>Uploaded at Part-2 additional information detail Sl. No.-1</i>

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।